(71)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/हरदा/भूरा/2017/1986 विरूद्ध आदेश दिनांक 21-3-17 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 413/अपील/15-16

1-चन्दरया आत्मज नन्दू (मृत वारिसान:-)
१-रेशमबाई
२-लाडकी
३-सुभाष
४-प्रभावती
५-तुलसीराम
2-हुकूम सिंह आत्मज रंगलाल
दोनों निवासी ग्राम देवपुर तहसील खिरकिया
जिला हरदा

.....आवेदकगण

विरूद्ध

रामभरोसे दत्तक पुत्र रेवाराम जाट
निवासी ग्राम धनवाडा तहसील खिरकिया
जिला हरदा

.....अनावेदक

श्री मोहनसिंह चौधरी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अमितकुमार कैथवास, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-3-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत एक आवेदन पत्र तहसीलदार खिरकिया के समक्ष प्रस्तुत कर उसके स्वत्व व स्वामित्व की कृषि भूमि ग्रामदेवपुर में स्थित खसरा नम्बर 102/1 रकबा 1.760 हेक्टेयर पर सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 9-6-12 को किये जाने के उपरांत अनावेदक के स्वामित्व की भूमि में से 0.10 एकड़ भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है अत: कब्जा हटाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30-6-15 को आदेश पारित कर आवेदक को कब्जा हटाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तु किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 2-9-16 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21-3-17 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा सीमांकन के आधार अवधि बाह्य प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त के द्वारा आवेदक क्रमांक 1 को विधिवत तामीली किये वगैर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के सीमांकन की कार्यवाही में आवेदकगण को सीमांकन की कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई और न उनके समक्ष सीमांकन की कार्यवाही की गई, किन्तु उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये तहसीलदार द्वारा सीमांकन को वैध ठहराते हुये उक्त सीमांकन के आधार पर अवैध कब्जे की हटाने की कार्यवाही है तथा जिसे अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखने में भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये उक्त आदेश पारित किया गया था। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि आवेदकगण का अनावेदक की कृषि भूमि पर सीमांकन कार्यवाही में 0.10 एकड पर अवैध कब्जा

पाया गया था व उक्त सीमांकन की कार्यवाही के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा कोई अपील या निगरानी नहीं की गई थी ऐसी स्थिति में किया गया सीमांकन विधिसंगत माना जायेगा और उक्त सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही विधिसम्मत की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 250 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने के लिये (आदिम जनजाति के व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य के लिये) दो वर्ष की परिसीमा उपबंधित है । अनावेदक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 9-6-2012 के उपरांत दिनांक 1-10-13 को तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है इसलिये सीमांकन दिनांक से आवेदन समय सीमा में है । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का विधिसंगत आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है । अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक एवं अनुचित आदेश को निरस्त कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने में पूर्णत: न्यायसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-3-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर